

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज / सामान्य / 08 / 689

दिनांक : 25.6.08

## संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज / सामान्य / 08 / 686 दिनांक 24.6.08 में उल्लेखित शर्त संख्या 7 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।


  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज / सामान्य / 08 / 689

दिनांक : 25.6.08

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग, राज जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक (ई.एस.आई.) / मोबाईल सर्जिकल यूनिट / आर.आर.सी., राज.जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज / संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा संघ।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी / संबंधित अधिकारी।
10. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
11. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

316